



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या – 4803 वर्ष 2026

मनोज तिवारी उर्फ मनोज कुमार एवं अन्य

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग,
लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता	: राकेश कुमार त्रिपाठी
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 13

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि

1. सुश्री माया शर्मा, अधिवक्ता, ने विपक्षी संख्या 2 तथा 3 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर के अपराध संख्या 162 ए/2008, धारा 307, 342, 323, 394 भा.द.सं. से उत्पन्न आपराधिक मामले की कार्यवाही को, दिनांक 18.11.2008 की आरोप-पत्र, दिनांक 10.12.2008 के संज्ञान एवं तलबी आदेश, जो अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय संख्या 2, सीतापुर के न्यायालय में लंबित है, को दिनांक 10.04.2026 के समझौते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के आधार पर निरस्त करने हेतु दायर किया गया है।

4. प्रार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण प्रार्थियों के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और तत्पश्चात, पक्षों ने अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता कर लिया है। समझौता विलेख दिनांक 10.04.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 7 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षों के बीच एक-दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं है और प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही एक निरर्थक अभ्यास है क्योंकि वाद का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और यह प्रार्थियों के उत्पीड़न के समान है और इस प्रकार, प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, विपक्षियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष का समर्थन किया और तर्क दिया कि पक्षों ने समझौता विलेख के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वर्तमान प्रार्थियों के विरुद्ध विपक्षियों की अब कोई शिकायत नहीं है तथा प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब यह कि क्या पक्षों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, इसका सर्वोत्तम निर्धारण निचली न्यायालय द्वारा किया जा सकता है क्योंकि ऐसे समझौते का संबंधित पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार, यह आवेदन संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि यदि ऐसा कोई समझौता उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात, समझौते के सत्यापन की कार्यवाही करेगा। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा उस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाएगी और समझौते को पत्रावली का हिस्सा बनाया जाएगा।

9. उस स्थिति में न्यायालय पक्षों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा और प्रार्थियों के लिए कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु पुनः इस न्यायालय के समक्ष आने का विकल्प खुला रहेगा।

10. तीन महीने की अवधि के लिए, वाद अपराध संख्या 162 ए/2008, धारा 307, 342, 323, 394 भारतीय दंड संहिता, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर से उत्पन्न आपराधिक मामले की कार्यवाही, जो दिनांक 18.11.2008 की आरोप-पत्र, दिनांक 10.12.2008 के संज्ञान और तलबी आदेश के अनुपालन में अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय संख्या 2, सीतापुर के न्यायालय में लंबित है, प्रार्थियों के संबंध में स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि वह इस तथ्य की जांच करे कि क्या वे सभी पक्षकार जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में शामिल हैं, और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थियों के विद्वान् अधिवक्ता को मूल समझौता विलेख, यदि कोई हो, उसकी प्रतिलिपि लेने के पश्चात वापस कर दे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि)

12 जून, 2026

वी.सिन्हा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।